POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

सत्यमेव जयते

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

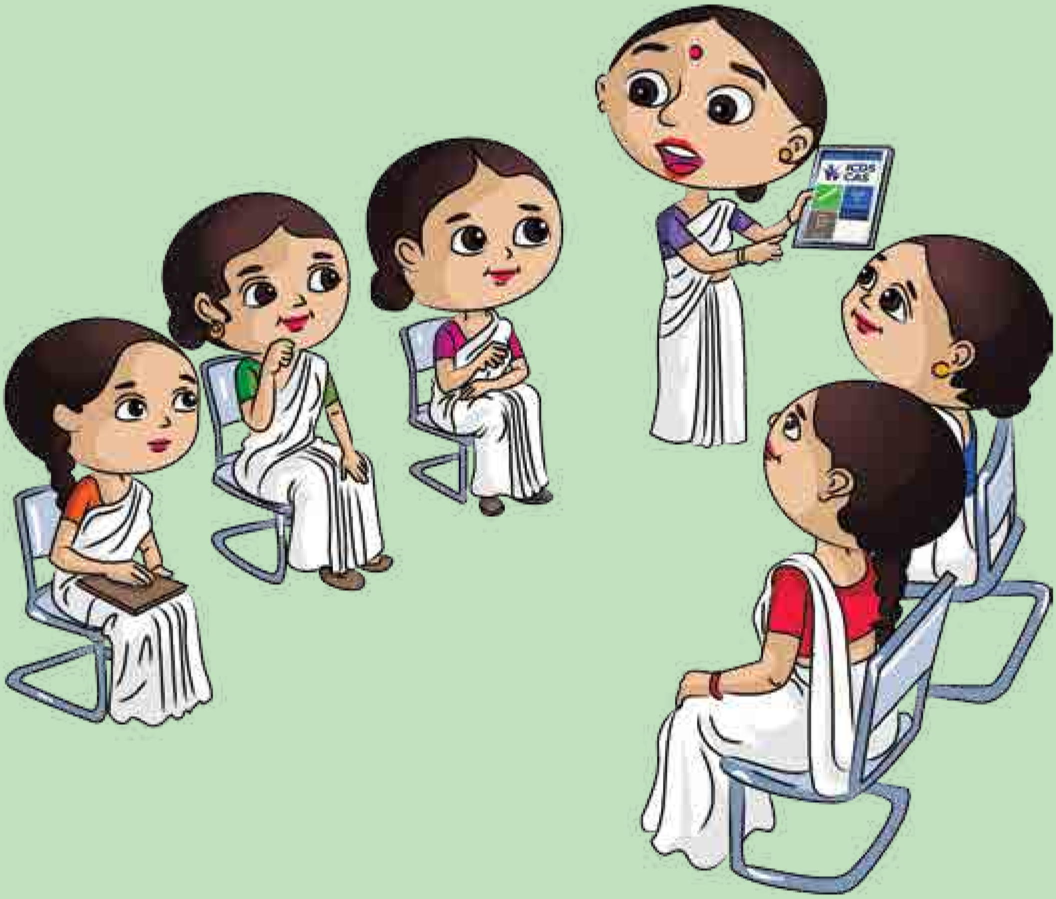

इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

2018

पोषण अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
मातृ शक्ति, राष्ट्र शक्ति

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

2018

पोषण अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

संक्षिप्त शब्द

एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
आशा	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
बीआरजी	ब्लॉक संसाधन समूह
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीपीएमयू	केंद्रीय परियोजना प्रबंधक इकाई
डीआरजी	जिला संसाधन समूह
डीपीओ	जिला कार्यक्रम अधिकारी
एचएससी	स्वास्थ्य उप–केंद्र
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवा
आईएलए	इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आई.एल.ए.)
आईसीडीएस-सीएएस	समेकित बाल विकास सेवा–सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीटी-आरटीएम	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित वास्तविक समय निगरानी
आईएमआर	शिशु मृत्यू दर
आईवाईसीएफ	संयुक्त परियोजना समन्वयक
जेएसवाई	जननी सुरक्षा योजना
एलएस	महिला पर्यवेक्षक
एमआईएस	मासिक सूचना पद्धति
एमडीटीएफ	बहु–दाता न्यास कोष
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीआईपी	कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
पीएमएमवीवाई	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना
एसएजी	किशोरियों हेतु स्कीम
एसपीएमयू	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
वीएचएसएनडी	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस

विषय सूची

अध्याय-1 **06**

प्रस्तावना

अध्याय-2 **07**

कार्यक्रम

2.1 उद्देश्य

2.2 इन्क्रिमेंटल लर्नि ंग एप्रोच (आईएलए) के प्रमुख तत्व

अध्याय-3 **11**

संवर्धित षिक्षण दृश्टिकोण (आईएलए) लागू करने के लिए कदम

3.1 आयोजना

3.2 आईएलए का प्रसार

3.3 सूक्ष्म आयोजना

अध्याय-4 **15**

बजट और निधि प्रवाह के लिए प्रक्रिया

अध्याय-5 **17**

निगरानी, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन

अनुलग्नक : **18**

अनुलग्नक 1 : मासिक आईएल चक्र के लिए विशयगत क्षेत्रों की एक उदाहरणात्मक सूर्ची

अनुलग्नक 2 : सभी स्तरों पर आईएल के अनुषंसित संगठन

अनुलग्नक 3 : जिला संसाधन समूह और ब्लॉक संसाधन समूह का गठन

अनुलग्नक 4 : कार्यान्वयन में एसपीएमयू, जिला आईसीडीएस तथा तकनीकी साझेदारों की भूमिका

अनुलग्नक 5 : रिपोर्टिंग के फॉर्मेट

1. सीडीपीओ के लिए आईएलए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
2. डीपीओ के लिए आईएलए मासिक सारांश रिपोर्ट
3. जेपीसी के लिए आईएलए मासिक सारांश रिमोर्ट
4. सेक्टर स्तरीय बैठक के लिए पर्यवेक्षक के लिए आईएलए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
5. बीआरजी प्रशिक्षण पर डीपीओ के लिए आईएलए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
6. डीआरजी प्रशिक्षण पर जेपीसी के लिए आईएलए रिपोर्टिंग फॉर्मेट

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, अर्थात आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), इस मंत्रालय की किशोरियों हेतु स्कीम (एसएजी), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), पेयजल और शौचालय, का अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है।

1.2 पोषण अभियान बच्चे के पहले 1000 दिनों पर बल देने पर केंद्रित है। इन 1000 दिनों में 9 माह की गर्भावस्था, 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान और 6 महीने से 2 वर्ष तक अल्पपोषण के समाधान पर केंद्रित उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं। जन्म के समय शिशु के वज़न में वृद्धि करने के अलावा इससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों को कम करने में मदद मिलेगी। एक वर्ष और (बच्चे की 3 वर्ष की आयु तक) अतिरिक्त सतत उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि पहले 1000 दिनों तक किए गए उपायों के फलस्वरूप प्राप्त लाभों को समेकित किया जाए। आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास के लिए 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की ओर भी ध्यान दिया जाता हैं।

1.3 पोषण अभियान के अंतर्गत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें कार्यक्रम कार्यकर्ता प्रत्येक कार्य की एक सुव्यवस्थित तरीके से आयोजन बनाने और उसे निष्पादित करने की दक्षता प्राप्त करके और मौजूदा क्षमता निर्माण, जिसे 'इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए)' कहा जाता है, के जरिए अधिक प्रभावी बन जाएंगे। इस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मौजूदा पर्यवेक्षण विचार–विमर्श के रूप में अवसरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे व्यवहारिक और नियंत्रित अधिगम का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

1.4 प्रस्तावित प्रणाली में समग्र अधिगम कार्यसूची को करने योग्य कार्रवाई के छोटे–छोटे भागों में विभाजित करने की परिकल्पना है, क्योंकि सीखे जाने वाले कार्यों और कौशलों की सूची काफी विस्तृत है और क्योंकि वयस्क लोग सिर्फ किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक तरीके से काम करके उसे ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। जब तक सारे कौशल, जानकारी और कार्रवाई को नियमित रूप से व्यवहार में नहीं ले लिया जाता और उसे कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मसात नहीं कर लिया जाता और जब तक एक सहायक पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित नहीं हो जाता तब तक इसमें एक समय पर धीरे–धीरे, थोड़ा–थोड़ा सीखने पर बल दिया गया है।

1.5 ऐसी प्रणाली को सामान्य कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाकर कार्यक्रम के लिए किसी भी समय नए और जटिल विषयों और कौशलों को शुरू करना और एक निर्धारित समय–सीमा के भीतर कारगर क्रियान्वयन की उम्मीद रखना संभव है।

अध्याय 2

कार्यक्रम

2.1 उद्देश्य

इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए) के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- अग्रणी कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आशा) द्वारा सीख कर करना (लर्निंग बाई डुइंग) पद्धति से कौशल निर्माण।
- इसी प्रकार की पद्धति के माध्यम से पर्यवेक्षण ढांचों और कौशलों को सुदृढ़ बनाना।
- सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यकरण को समन्वय योग्य बनाना।

2.2 इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए) के प्रमुख तत्व

पोषण अभियान के अंतर्गत पूर्णतः स्थापित आईएलए प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल हैं :

- चल रहे अधिगम, आयोजन और समीक्षा पर ढांचागत पर्यवेक्षण विचार–विमर्श;
- स्पष्ट रूप से परिभाषित निष्कर्षों और परिणामों के साथ योजनाबद्ध अधिगम कार्यसूची;
- अधिगम एवं निष्पादन सुधार के लिए आईसीटी–आरटीएम आंकड़ों के आधार पर साक्ष्य का प्रयोग;
- आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच अभिसरण (कन्वरजेंस) कार्रवाई हेतु तंत्र को सक्रिय बनाना; और
- क्रमिक प्रणाली पर मासिक प्रतिक्रिया।

पहले ये तत्व संक्षेप में नीचे दिए गए हैं और इसके पश्चात कार्यान्वयन हेतु सुझाए गए उपाय दिए गए हैं :

1. मौजूदा अधिगम, आयोजना और समीक्षा के लिए ढांचागत पर्यवेक्षण विचार–विमर्श

पदानुक्रम में विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच पर्यवेक्षी बातचीत नियमित रूप से होती है। वर्तमान में ये विचार–विमर्श अधिकांशतः प्रशासनिक मामलों तक सीमित है; तथापि, विषय और समय अंतराल निर्देशित करके, प्रयुक्त उपाय और जांच सूचियां प्रदान करके तथा आंकड़ों के संग्रह और उपयोग द्वारा उन्हें व्यवस्थित करके सुदृढ़ बनाया जा सकता है। पर्यवेक्षण विचार–विमर्श की योजना तीन मुख्य कार्य अर्थात समीक्षा, निवेश और योजना की दृष्टि से बनाई जानी चाहिए और इसे यह सुनिश्चित करते हुए आईएल प्रणाली के प्रमुख तत्वों के रूप में कार्य करना चाहिए कि अधिगम को कार्रवाई में बदला जा सके।

2. स्पष्ट रूप से परिभाषित निष्कर्षों और परिणामों के साथ योजनाबद्ध अधिगम कार्यसूची

आईएलए के अंतर्गत सभी कार्यक्रम कार्यकर्ता सीखते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कारगर तरीके से कार्य करना और सीखना होता है। अधिकांश अधिगम कार्य व्यवहारिक रूप से काम करते हुए सीखना होता है। अधिगम कार्यसूची इस तरीके से तैयार की जाती है कि एक विषय को प्रत्येक मासिक चक्र में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक विषय में कार्रवाई योग्य कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, जिन्हें अगले माह क्रियानवित करना होता है। ये कार्य उस महीने के लिए प्रत्याशित परिणाम (आउटपुट) होते हैं जिन्हें पर्यवेक्षण विचार–विमर्श के दौरान मॉनीटर किया जा सकता है। समय बीतने के साथ–साथ ऐसी कार्रवाई से सेवाओं की व्यापित और पोषण तथा देखभाल व्यवहार जैसे विशिष्ट निष्कर्ष संसूचकों में परिवर्तन प्रत्याशित होता है। अनुलग्नक–। में दी गई निदर्शी सूची में शामिल विषयों की संस्तुति इसलिए की गई है, क्योंकि ये अपेक्षित परिणाम निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इसके अलावा, निदर्शी सूची में शामिल अधिकांश विषयों के संबंध में मॉड्यूल दिए जाएंगे, जिनमें निदर्शन सामग्री और आयोजकों की गाइडें शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक विषय क्षेत्र में अन्य प्रकरण जोड़े जा सकते हैं। नया प्रकरण जोड़ते समय यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि प्रकरण छोटा और व्यावहारिक हो, ताकि उसे प्रत्येक स्तर पर बैठक के लिए उपलब्ध समय–सीमा में निपटाया जा सके और विशिष्ट कार्रवाई बिंदु प्रारंभ में ही अभिनिर्धारित होने चाहिए। इन बिंदुओं को आगामी माह के लिए नियोजित पर्यवेक्षण विचार–विमर्श के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

3. अधिगम एवं निष्पादन सुधार के लिए आईसीटी–आरटीएम आंकड़ों के आधार पर साक्ष्य प्रयोग

प्रत्येक स्तर पर आईएल प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा शामिल है। इसी प्रक्रिया को नए अधिगम में सर्वाधिक योगदान देना चाहिए। यदि समीक्षा साक्ष्य पर आधारित होगी तो यह सर्वाधिक उपयोगी होगी। साक्ष्य किसी भी विश्वस्त सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है– चाहे मौखिक और बैठक के दौरान चर्चा या अन्य पर्यवेक्षण विचार–विमर्श से प्राप्त हो, पर्यवेक्षण क्षेत्र दौरों से इकट्ठा किया गया हो, मासिक रिपोर्टों में बताया गया हो अथवा पूर्णतः स्वतंत्र स्रोत से मिले आंकड़ों पर आधारित हो। स्वतंत्र आंकड़ों का ऐसा ही एक स्रोत महिला पर्यवेक्षकों द्वारा एलक्यूएएस पर आधारित परिवार सर्वेक्षण हो सकते हैं, जो पोषण अभियान के अंतर्गत शुरू किए जाने वाला एक अन्य नया तरीका है। उम्मीद है कि इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षक इस बारे में निर्णय लेंगे कि कौन–सा तरीका उपयोगी है या नहीं है और बेहतर अथवा त्वरित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन के तरीकों में थोड़ा–बहुत बदलाव करेंगे। इसी प्रक्रिया से ऐसे कारकों का भी पता लगाया जा सकेगा, जिनके सम्बंध में कार्यक्रम अथवा नीति–निर्माण के उच्चतर स्तर पर निर्णय अपेक्षित होंगे, ताकि इस दिशा में बेहतर प्रगति हासिल की जा सके।

4. बाह्य संसाधन व्यक्ति

माना जाता है कि केवल कुछ कार्यकर्ताओं में ही इस प्रकार की व्यवस्थित प्रणाली को प्रारंभ से चलाने की क्षमता होगी और अधिकांश कार्यकर्ताओं को काफी समय तक मदद की आवश्यकता होगी। पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं की सामान्य आंगनवाड़ी सेवा पदानुक्रम से बाहर के संसाधन व्यक्तियों का पता लगाने और उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करने के अनेक प्रावधान हैं। इस प्रकार के बाह्य सहायक व्यक्तियों को जिला संसाधन समूह (डीआरजी) और ब्लॉक संसाधन समूह (बीआरजी) के साक्ष्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिसका विवरण आगे के पृष्ठों में दिया गया है। डीआरजी और बीआरजी में आंगनवाड़ी सेवा कर्मचारी और पोषण अभियान के अंतर्गत भर्ती किए गए जिला और समन्वयक, स्वास्थ्य विभाग, शैक्षणिक संस्थाओं और सुविख्यात स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों के संसाधन व्यक्ति शामिल होंगे। बजटीय प्रावधानों का इस्तेमाल क्षेत्र, उपकेंद्र अथवा ब्लॉक जैसे विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण विचार–विमर्श में सहायता के लिए सहायक व्यक्तियों को अनुबंध के आधार पर लेने के लिए किया जा सकता है। इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए) में यह माना जाता है कि इस बात की संभावना नहीं है कि इस प्रकार के सभी संसाधन व्यक्ति स्वयं आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता ला पाएंगे, इसलिए उन्हें राज्य और जिला स्तर पर आईएलए सत्रों में शामिल किया जाएगा।

5. आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच अभिसरण की कार्रवाई हेतु तंत्र

सामुदायिक स्तर पर उपायों के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण सम्बंधी परिणाम प्राप्त करने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेवाओं तथा स्वास्थ्य विभागों की लगभग बराबर की है और विशेषरूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा और उनके पर्यवेक्षकों – महिला पर्यवेक्षकों और एएनएम (अथवा आशा) की है। दो कार्यक्रमों के बीच कम से कम ऐसे तीन अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) हैं, जिनका इस्तेमाल सर्वोत्तम परिणाम हासिल करने के लिए किया जा सकता है :

क. प्रत्येक गांव में दो अग्रणी कर्मियों, अर्थात आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा की उपस्थित का अधिकतम लाभ उठाया जाना चाहिए।

ख. इसी प्रकार, यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा के बीच तालमेल हो तो गांव में एएनएम की समय–समय पर उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है और यह सभी आपसी फायदे के लिए अपने–अपने कौशलों और स्थितियों का इस्तेमाल कर सकती हैं।

ग. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहले 1000 दिनों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं। सुविधा आधारित सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व और उसके पश्चात समुदाय में लाभार्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा के प्रभाव में होते हैं। समुदाय में प्रदाता सेवाओं के बीच अंतरापृष्ठों (इंटरफेस) का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

अतः उक्त अंतरापृष्ठों का अधिकतम लाभ उठाने के विशिष्ट उद्देश्य से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसी आईएलए में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मौजूदा एक ऐसा मंच है, जहां इन दोनों कार्यक्रमों के अभिसरण की संभावना है। प्रस्तावित मासिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बैठक एक अन्य ऐसा मंच है, जिसके लाभ सर्वमान्य हैं। कई राज्यों में दो विभागों के कर्मियों की सहभागिता से संदर्भ और फीडबैक प्रणालियों को चलाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, ब्लॉक जिला स्तरों पर अपने–अपने कार्यक्रमों के नेतृत्वों के बीच नियमित विचार–विमर्श यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी निचले स्तरों पर बिना किसी बाधा और परस्पर लाभकारी विचार–विनिमय हो। इस प्रकार के तंत्र के इन्क्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच (आईएलए) का अभिन्न अंग होने चाहिए।

6. नियंत्रित मासिक निवेश की क्रमिक प्रणाली

आईएल हेतु समन्वय और नियंत्रण का एक केंद्रीय तंत्र अपेक्षित है। या तो राज्य अथवा जिला स्तर पर कुछ अधिकारियों को पूरी संवृद्ध अधिगम प्रक्रिया की संकल्पना तैयार करने और उसकी आयोजना बनाने और यह कार्य करने के लिए अपेक्षित विषेशज्ञता वाले उपयुक्त संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं का सदुपयोग करने का दायित्व लेना चाहिए। आईसीडीएस निदेशालय और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में पोषण अभियान के अधीन परामर्शदाता इस कोर आयोजना दल को आवश्यकता सहायता और निर्देश प्रदान करेंगे। प्रत्येक अगले स्तर पर उस स्तर के कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले प्रभार संभालेंगे। कुल मिलाकर, प्रत्येक स्तरपर दो प्रमुख भूमिकाएं निभाई जानी हैं।

7. तकनीकी और प्रशिक्षण दायित्व

जिला संसाधन समूह और ब्लॉक संसाधन समूह के सदस्य तथा अन्य बाह्य और आंतरिक सहायक (फैसिलिटेटर) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मासिक चक्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएं, सम्बंधित शिक्षण–अधिगम सामग्री पर्याप्त मात्रा में तैयार कर उपलब्ध कराई जाए और माह के दौरान प्रशिक्षण के तकनीकी पहलू और परिचालनात्मक आयोजना के साथ समझौता न किया जाए। कुछ सदस्यों के प्रशासनिक दायित्व भी हो सकते हैं।

8. प्रशासनिक और प्रबंधकीय दायित्व

प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षक और कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले यथा नियोजित क्रियान्वयन, समीक्षा हेतु आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, समीक्षा हेतु आंकड़ों और साक्ष्यों का उपयोग करते हैं तथा यथा–नियोजित परिणामों की प्रगति को मॉनीटर करते हैं। ये लोग संसाधन व्यक्ति और डीआरजी तथा बीआरजी के सदस्य हो सकते हैं, किंतु उनका मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि नियोजित कार्रवाई का निष्पादन हो। यदि वे डीआरजी अथवा बीआरजी के सदस्य भी नहीं हैं तो उनके लिए लीडर और प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका के कारगर तरीके से निर्वहन के लिए अलग तकनीकी जानकारी अपेक्षित होगी।

अध्याय 3

संवर्धित शिक्षण दष्टिकोण (आईएलए) लागू करने के लिए कदम

इस खंड में संवर्धित शिक्षण दृष्टिकोण (आईएलए) सत्रों के जिला, ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर सफल आयोजन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण में प्रयोज्य उपायों का वर्णन किया गया है।

3.1 आयोजना

संवर्धित शिक्षण सत्र या प्रशिक्षण जिला, ब्लॉक और क्षेत्रीय स्तर पर तैयार और प्रति माह आयोजित किए जाएंगे। अनुलग्नक – 2 में उल्लेखित संस्तुत संरचना के अनुसार जिला और ब्लॉक संसाधन समूहों और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के सदस्य इसके प्रतिभागी होंगे। स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों की प्रतिभागिता वांछनीय होगी तथा उन्हें सम्मिलित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। आईएल सत्रों की तैयारी के लिए राज्यों द्वारा निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :

- राज्य के आईसीडीएस निदेशालय और प्रशिक्षण संस्थानों के स्टाफ और परामर्शकों में से राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का गठन करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/केंद्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट के नेतृत्व में एक तकनीकी टीम द्वारा एसआरजी का ओरिएन्टेशन किया जाएगा और मास्टर प्रशिक्षक के तौर पर तैयार किया जाएगा।
- पोषण अभियान के अंतर्गत आने वाले सभी जिला और ब्लॉकों के लिए जिला संसाधन समूह और ब्लॉक संसाधन समूह (अनुलग्नक 3) गठित करना।
- आईएलए के बारे में सभी जिलों/ब्लॉकों को (अधिमानतः स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रुप से) अनुदेश/निर्देश जारी करना।
- वित्तीय मानदंडों, आबंटनों, उपयोगिता प्रमाण पत्रों और रिपोर्ट करने के तौर–तरीकों के बारे में जिलों और ब्लॉकों को सूचना/जानकारी प्रदान करना।
- पैसे की कमी के कारण इन सत्रों के आयोजन में किसी प्रकार के विलंब के बचने के लिए सभी स्तरों पर समय पर पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रणाली/प्रक्रिया लागू करना।
- जिला, ब्लॉक और क्षेत्रीय स्तर पर तय बैठकों में आईएल सत्रों के आयोजन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर माइक्रो–आयोजनाएं तैयार करना।
- इन योजनाओं/स्कीमों को डीआरजी और बीआरजी के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करना कि उन्हें सारणी की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई है और वे इन सत्रों में भाग लेने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इस कार्य के लिए प्रतिमाह एक विशिष्ट दिन निर्धारित किया जा सकता है।

- सभी ब्लॉकों तक प्रत्येक आईएलए के लिए मॉड्यूल, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए – सामग्री और फ्लिप–पुस्तक की समय पर छपाई और वितरण सुनिश्चित करना।
- सभी आशातीत प्रतिभागियों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक स्थान सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक और सेक्टर स्तरीय प्रत्येक बैठक कम से कम 4 घंटे के लिए तथा उसके लिए एक विस्तृत कार्यसूची पहले से ही तैयार करना आवश्यक है।
- एक सत्र के लिए सुविधाओं की विशिष्ट पद्धतियों के आधार पर, प्रत्येक स्तर पर सुविधा–सामग्री (उदाहरणार्थ फ्लिप चार्ट, फ्लिप पुस्तक, वीडियों, प्रदर्शन आदि के लिए संबद्ध आदि) की व्यवस्था।
- अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्रतिभागियों के लिए अल्पाहार।
- राज्य के अधिकारियों और परामर्शकों के लिए जिला, ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर आईएलए सत्रों के ऑन साइट अवलोकन के लिए सहायक पर्यवेक्षणीय और फील्ड मॉनिटरिंग आयोजना विकसित और लागू करना। उनके अधिकार क्षेत्र में डीपीओ तथा सीडीपीओ हेतु सत्रों के लिए समतुल्य आयोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन करना। आईएलए सत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है।
- प्रतिभागियों की शिक्षा के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक सत्र के अंत में ई–आईएलए मॉड्यूल पर ज्ञान जांच–परीक्षा आयोजित करना।

3.2 आईएल का प्रसार

आईएल सत्रों का प्रसार क्रमिक रुप से किया जाएगा। वे, आईएलए के कार्यान्वयन में शामिल रूपरेखाओं पर डीआरजी के प्रशिक्षण और एसआरजी द्वारा मासिक–चक्र माड्यूलों के विषय पर अभिमुखीकरण (ओरिएन्टेशन) के साथ आरंभ करेंगे। इसके पश्चात डीआरजी द्वारा क्रमिक रुप से बीआरजी को प्रशिक्षणः और तत्पश्चात, बीआरजी के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को इन्हीं मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क. जिला संसाधन समूह (डीआरजी) और ब्लॉक संसाधन समूह (बीआरजी) प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण सम्बंधी समग्र रूपरेखा/व्यवस्था अनुलग्नक 2 में दी गई है।
- डीआरजी और बीआरजी के माध्यम से प्रत्येक तकनीकी विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा, एएनएम, आईसीडीएस पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ, पीएचसी अधिकारियों और डीपीओ सहित अग्रणी (फ्रंटलाइन) कामगारों का ओरिएन्टेशन एवं शिक्षण।
- जिला और ब्लॉक स्तर पर आईएलए सत्र मुख्यतया भावी कार्रवाईयों पर फोकस करेंगे और तथा सभी प्रस्तावित कार्रवाईयों की तकनीकी तर्कसंगतता और विषय वस्तु की व्याख्या पर जोर देंगे।
- आईएलए सत्रों के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर संप्रेषित तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त, तीन प्रकार के कार्य–बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी :
  - आगामी निम्न स्तरीय आईएलए बैठक या पारस्परिक क्रिया–कलाप कैसे आयोजित किए जाए?
  - विशेषकर हस्तक्षेपों और किए जाने वाले निर्णयों के संदर्भ में एक प्रभावी पर्यवेक्षक कैसे बनाया जाए? और
  - वैयक्तिगत जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से कैसे कार्यान्वित करें। उदाहरणार्थ, एक बीआरजी सदस्य को यह बताना होगा कि आगामी माह सेक्टर (क्षेत्र) की बैठक में क्या होगा (समीक्षा, आयोजन/प्रशिक्षण क्या होना चाहिए) पर्यवेक्षक आंगनवाड़ियों के साथ एक–एक पारस्परिक क्रिया–कलापों के दौरान किस भांति सहायता करेगा और पर्यवेक्षकों से, आंगनवाड़ियों के बिना किस प्रकार के अन्य कार्यो की उम्मीद की जाती है, (जैसे कि घरेलू दौरे, डेटा एकत्रीकरण आदि)।
- प्रगति की आवधिक समीक्षा करने तथा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाईयां आरंभ करने के लिए भी आईएल सत्रों का एक मंच के तौर पर प्रयोग किया जाएगा।

ख. क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण और समीक्षा–बैठकें

क्षेत्र स्तर पर बैठकों का आयोजन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक सशक्त पर्यवेक्षक या एक अन्य सह–सुविधाप्रदाता आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आशा के द्वारा विषय वस्तु के प्रसार और उसे समझने की प्रभावशीलता में सुधार लाएगा।

जहां औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ नहीं किया गया है:

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक आईएलए सत्र में अनिवार्यत निम्नलिखित सत्र होंगे :

i समीक्षा सत्र : पिछले आईएलए सत्र में निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति और पिछले माह के दौरान सेवा प्रदाताओं के समक्ष पेश आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

ii इनपुट सत्र : चुनिंदा तकनीकी उपायों (जैसे समुचित पूरक आहार या विटामिन ए की आपूर्ति आदि) और मुद्दों (उदाहरणार्थ : घरेलू दौरे के दौरान आयु उपयुक्त पूरक आहार को बढ़ावा देने के लिए माताओं को क्या और कैसे बताया जाए; विशेष कार्यक्रम/सामुदायिक बैठकें आदि आयोजित करना) पर चर्चा की जाएगी।

iii आयोजना सत्र : सुविधाप्रदाता, निर्धारित प्रचालकीय उपचारों के माध्यम से आने वाले महीनों में सभी प्रासंगिक माताओं/बच्चों और परिवारों को नये तकनीकी उपायों के लिए, एक कार्य योजना तैयार करने के लिए, प्रत्येक एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा की सहायता करेगा। इसमें आईसीडीएस–सीएएस/घरेलू दौरा आयोजक के माध्यम से माताओं/परिवारों की पहचान भी शामिल है जो आगामी माह में अन्तर–वैयक्तिक काऊंसिलिंग के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें आयोजित किए जाने वाले सामुदायिक कार्यक्रम तय करना और विशिष्ट परिवारों के साथ व्यवहार परिवर्तन पर बातचीत भी शामिल है।

iv सत्र के प्रत्येक चक्र में विषयगत चर्चा करने के लिए सुविधा सामग्री में, आईएल विषय पर मॉड्यूल और प्रश्नों, नोट/गाइड का कोई अतिरिक्त सेट शामिल करना।

जहां औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया है:

जहां वृद्धिशील शिक्षण सत्र पहले ही कार्यान्वित किये जा चुके हैं, सेक्टर बैठक की कार्य–सूची के लिए निम्नानुसार सुझाव दिया जाता है :

i पूर्व बैठक की कार्य योजना की समीक्षा और मूल्यांकन करना कि विशेष कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

ii आईसीडीएस पर्यवेक्षक द्वारा आईसीडीएस–सीएएस डैशबोर्ड की समीक्षा और प्रमुख कमियों के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उसके फील्ड दौरे का रिकॉर्ड।

iii विशेष सेक्टर बैठक के दौरान मातृ, शिशु और बड़े बच्चों के पोषण की विशेष कमी के क्षेत्रों की पहचान।

iv पहचान किये गये विषयगत क्षेत्रों के संबंध में तकनीकी ज्ञान को ताजा करना।

v पहचान किये गये विषयगत मॉड्यूल के कार्यान्वयन के दौरान सामना की गई समस्याओं पर विचार–विमर्श।

vi समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएएस वीडियो और फ्लिप–बुक का उपयोग।

vii अगली सेक्टर बैठक तक की जाने वाली कार्रवाई की पहचान।

viii सेक्टर की सेवा प्रदायगी की वर्तमान स्थिति और बच्चों की पोषण स्थिति, प्रमुख मुद्दे और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, के बारे में सत्र पर जोर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि आईसीडीएस–सीएएस डैशबोर्ड का डाटा इस बात को उजागर करता है कि 50% बच्चे कम वज़नी हैं तो विचार–विमर्श का केंद्र बिंदु यह होना चाहिए कि बच्चे किस गांव से सम्बंधित हैं और तत्सम्बंधित संभावित कारण क्या–क्या हैं? अगर इसके लिए पूरक आहार एक प्राथमिक कारण (पर्यवेक्षक के घरों के दौरे के रिकॉर्ड पर आधारित) प्रतीत होता हो तो सत्र में वृद्धिशील मॉड्यूल सीएएस वीडियो और फ्लिप–बुक के जरिये पूरक आहार पर परामर्श देने के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल के विषयगत अपडेशन पर फोकस होना चाहिए। इन कमियों का निराकरण करने के लिए की जाने वाली उन ज़रूरतों के संबंध में व्यहारिक कार्रवाई पर भी

फोकस होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और पर्यवेक्षकों के प्राथमिक परिवारों की सहायता करने के लिए घरों के दौरे, जहां कहीं दौरे अपेक्षित हों, के आंकडों की समीक्षा करने के बारे में स्पष्ट फोकस होना चाहिए। प्रत्येक सेक्टर बैठक में एक मॉड्यूल को तब तक सम्मिलित किया जाएगा जब तक सभी विषयगत मॉड्यूल पूरा नहीं हो जाते है और तब राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार चक्र दोहराया जाना चाहिए।

राज्य स्तर पर एसपीएमयू मॉड्यूल की विषय–सामग्री की संपूर्णता और फैसिलिटेटर दिशानिर्देश सुनिश्चित करेगा।

3.3 सूक्ष्म आयोजना

राज्य टीम जिला और ब्लॉक स्तर के लिए सूक्ष्म आयोजना तैयार करने करने के लिए जिला अधिकारियों की सहायता करेंगे। परियोजना स्टॉफ और डीआरजी सदस्यों की सहायता से डीपीओ हर ब्लॉक में सूक्ष्म आयोजना की तैयारी में सहायक हो सकता है।

सूक्ष्म आयोजना के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु विचार–विमर्श में शामिल करने चाहिए :

क. अतिरिक्त/बाह्य फैसिलिटेटर (जैसे बीआरजी सदस्य) की ज़रूरतों का निर्धारण करने और प्रत्येक स्तर, विशेष रूप से ब्लॉक, सेक्टर और एचएससी स्तर पर उनकी उपलब्धता तथा इन फैसिलिटेटर की आसान सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंच की बैठक का निर्धारण। सेक्टर बैठक में एएनएम की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये बैठकें तय कार्यक्रम के अनुरूप हों, अध्यापन–शिक्षण सामग्री और हर चक्र से सम्बंधित डाटा फॉर्म का वितरण हो।

ग. हर मंच (फ्लिप चार्ट, पोस्टर आदि) पर सुविधा सामग्री के उपयोग की विधि।

घ. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक और निचले हर स्तर की बैठकें कम से कम 3 से 4 घंटे की आयोजित हों।

ड. ब्लॉक, सेक्टर और एचएससी स्तर की बैठकों का स्थान सभी प्रत्याशित प्रतिभागियों के बैठने के लिए पर्याप्त और सभी/अधिकतर प्रतिभागियों के निकट होने चाहिए।

च. यथार्थवादी आयोजन और स्वामित्व को अधिकतम करने के लिए माइक्रो प्लान बनाने में पर्यवेक्षकों और एएनएम की सहभागिता।

छ. अनुमोदित मानदंडों के अनुसार बैठक को आकर्षक बनाने के लिए जलपान/उपाहार को सम्मिलित किया जाना।

अध्याय 4

बजट और निधि प्रवाह के लिए प्रक्रिया

4.1 वृद्धिशील शिक्षण से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए पोषण अभियान के प्रशासनिक दिशा–निर्देश में निर्देशात्मक लागत मानदंडों के साथ विशेष बजट की व्यवस्था की गई है; पोषण अभियान की वार्षिक कार्य योजना के भाग के रूप में वास्तविक व्यय का अनुमोदन किया जाएगा।

4.2 डीआरजी और बीआरजी सदस्यों के रूप में कार्यरत बाह्य संसाधन संपन्न व्यक्तियों के लिए मानदेय एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार होगी। अन्य डीआरजी और बीआरजी सदस्यों के यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति उस दिन के लिए की जाएगी जिस दिन वे प्रशिक्षण लेते हैं और वृद्धिशील शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं।

4.3 डीआरजी स्तर की गतिविधियों के लिए भुगतान मासिक चालान पर पोषण अभियान के समन्वयक और उस ब्लॉक स्तर के सीडीपीओ के हस्ताक्षर सहित दौरा डायरी की प्रस्तुति किये जाने पर डीपीओ कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां उनको ब्लॉक स्तर वृद्धिशील शिक्षण की सुविधा दी गई। इसी प्रकार, बीआरजी स्तर की गतिविधियों के लिए भुगतान चालान पोषण अभियान के ब्लॉक स्तर के समन्वयक के हस्ताक्षर सहित दौरा डायरी की प्रस्तुति किये जाने पर सीडीपीओ कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां उनको सेक्टर स्तर पर वृद्धिशील शिक्षा प्राप्ति सत्र की सुविधा दी गई।

4.4 सभी डीआरजी और बीआरजी के लिए व्यय मानदंड और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए एसपीएमयू द्वारा चालान और दौरा डायरी का फार्मेट डिज़ाइन करके साझा किया जाएगा।

4.5 सेक्टर स्तर की बैठक की लागत के लिए, बीआरजी सदस्य से सम्बंधित व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बंधित एलएस (उस दिन को बीआरजी सदस्य द्वारा समर्थित) द्वारा विधिवत सत्यापित चालान और यात्रा व्यय को जमा करने पर की जाएगी।

4.6 बैठक व्यय (जैसे प्रतिभागियों के लिए जलपान और अन्य सामग्री) के लिए उस सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक (एलएस) द्वारा बैठक रिपोर्ट (उपस्थिति सहित) और सीडीपीओ को उचित व्यय के वाउचर प्रस्तुत किये जाएंगे। सीडीपीओ धनराशि की प्रतिपूर्ति करेंगे। सीडीपीओ को और महिला पर्यवेक्षक (एलएस) को अग्रिम राशि देने की प्रणाली अगले वृद्धिशील शिक्षा–शिक्षण चक्र से पहले निपटान किये जाने की शर्त पर स्थापित की जानी है जिससे समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4.7 संकेतक लागत मानदंड

लागत मानदंड सहित आईएलए के संगठन को लेआउट नीचे दिया गया है :

आईएलए पर नियोजन का स्तर	प्रशिक्षार्थियों का गठन	बैच साइज़	सुविधाकर्ता	आवृत्ति एवं समय आबंटन	संकेतक लागत मानदंड
राज्य	प्रत्येक राज्य के 10.15 सदस्य (एसपीएमयू के सदस्यों, अन्य पहचान किए संसाधनों का चयन करें	10–15	केन्द्रीय टीम (केन्द्रीय समपीएमयू तथा विश्व बैंक से)	प्रत्येक तिमाही दो दिन	@ 1,50,000 प्रत्येक एसआरजी
जिला (डीआरजी)	प्रत्येक जिले से 8–10 सदस्य (डीपीओ, जिला समन्वय कर्ता, सीडीपीओ, जिला आरसीएचओ/डीआईओ, डीपीएम, जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, 3–4 मास्टर प्रशिक्षक/बाह्य संसाधन व्यक्ति)	@ 30 प्रति बैच (एक साथ 3 जिले)	प्रति बैच 2 एसआरजी सदस्य	प्रत्येक तिमाही दो दिन	@ 30,000 प्रत्येक डीआरजी
ब्लॉक (बीआरजी)	प्रत्येक ब्लॉक से 25–30 सदस्य सीडीपीओ, सभी पर्यवेक्षक, पोषण अभियान ब्लॉक समन्वयकर्ता, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, बाह्य संसाधन व्यक्ति	@ 30 प्रति बैच	डीआरजी	प्रत्येक माह एक दिन	@ 4,000 प्रति ब्लॉक प्रति विषय
सेक्टर (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां)	निर्दिष्टित क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (नियमित सेक्टर बैठकों तथा उपलब्ध आशा/एएनएम अनुसार)	सेक्टर में समस्त कार्यकर्त्रियां तथा उपलबध आशा/एएनएम	पर्यवेक्षक तथा सहायता के लिउ सह–सुविधाकर्ता	मसिक, आईएलए एजेंडा के लिए 4 घंटे	@ 1500 प्रति सेक्टर प्रति विषय

अध्याय 5

निगरानी, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन

5.1 आईसीडीएस पदाधिकारी (डीपीओ/सीडीपीओ), आईएल सत्रों और उनके कार्यान्वयन की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण और समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे (अनुलग्नक–4)। आईएल के प्रत्येक दौर के बाद, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों के बाद के दौरों में प्रक्रिया की संरचित समीक्षा की जाएगी। राज्य आईसीडीएस निदेशालय के अधिकारी/परामर्शदाता क्षेत्र में और पर्यवेक्षण एवं क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम के अनुसार सभी स्तरों पर समीक्षा बैठकों के दौरान प्रक्रिया की नियमित समीक्षा भी करेंगे। आईएल सत्रों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए वे गुणवत्ता जांच सूची का उपयोग करेंगे (अनुलग्नक–5)।

5.2 राज्य स्तर पर पोषण अभियान के अधिकारी/परामर्शदाता, जिला और ब्लॉक स्तर पर जिला समन्वयकर्ता निष्कर्षो के संकलन और कार्यक्रम के परिशोधन के लिए इसका उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य आईसीडीएस निदेशालय के अधिकारी/परामर्शदाता भी क्षेत्र में और पर्यवेक्षण एवं क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम के अनुसार सभी स्तरों पर समीक्षा बैठकों के दौरान प्रक्रिया की नियमित समीक्षा भी करेंगे।

5.3 इन सत्रों की मानकीकृत रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग प्रारूपों (अलग से प्रदान की गई) के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्र स्तर से रिपोर्ट का ब्लॉक और जिला स्तर पर मिलान किया जाएगा, ताकि राज्य के पास पूरे कासकेड के क्रियान्वयन की स्थिति हर महीने उपलब्ध हो।

5.4 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के ज्ञान और कौशल का आंकलन करने के लिए एसपीएमयू परमार्शदाता द्वारा प्रशिक्षण के पहले और बाद का आकलन तथा क्षेत्रीय दौरा किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे आकलन से निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के ज्ञान और आईएलए में वितरित विषयों से सम्बंधित कौशल में सुधार समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाईयों की योजना बनाई जाएगी।

अनुलग्नक–1

मासिक आईएल चक्र के लिए विषयगत क्षेत्रों की एक उदाहरणात्मक सूची

प्रत्येक थीम के अंतर्गत, अनुशंसित अनुक्रम में कई विषय हैं। किसी दिए गए मासिक आईएल चक्र के लिए, किसी भी दो विषयगत क्षेत्रों से प्रत्येक से एक विषय का चयन किया जाए। यह उम्मीद की जाती है कि यह चयन इस तरीके से किया जाए कि विषयगत क्षेत्रों में से एक पिछले महीने में शामिल विषयगत क्षेत्रों में से एक हो। जबकि महीनों के विषयों की अनुक्रमणिका लचीली है, लेकिन विषयों के अनुक्रम को स्वेच्छया परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	पोषण अभियान के अन्तर्गत अनुक्रम : आईएलए मॉड्यूल का नाम/विषय
1	मानचित्रण और गणनाः सर्वे और लिस्टिंग परिवार विवरण – योजना और प्रबंधन
2	गृह भ्रमण की योजना और रिकॉर्ड करने के लिए गृह भ्रमण प्लैनर का उपयोग – योजना और प्रबंधन
3	आंगनवाड़ी केंद्र पर समुदाय आधारित कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन – योजना और प्रबंधन
4	स्तनपान का अवलोकन (आब्ज़र्वेशन) – स्तनपान कराना
5	कमजोर नवजात शिशु की पहचान करना और देखभाल करना – नवजात शिशु की देखभाल
6	पूरक भोजन में घर पर उपलब्ध विविधता का उपयोग – पूरक आहार
7	मातृ रक्ताल्पता (अनीमिया) – आईएफए – मातृ पोषण – जन्म से पहले तथा बाद में नवजात की देखरेख
8	अल्प–पोषण की पहचान : वज़न एवं ऊँचाई मापना – अल्प–पोषित बच्चों को प्रबंधन
9	पूरक आहार – मात्रा एवं विशेषता – पूरक आहार
10	सिर्फ स्तनपान का समर्थन : स्तनपान
11	दुर्बल नवजात शिशु की देखरेख : नवजात शिशु की देखरेख
12	पूरक आहार की शुरुआत : 6वें तथा 7वें माह में घर को दौरा : पूरक आहार
13	एमएएम की पहचान और अपेक्षित कार्यवाही – अल्प–पोषित बच्चों को प्रबंधन
14	बीमारी के दौरान आहार – पूरक आहार + पूरक आहार की जांच करना
15	स्तनपान मुद्दों पर माताओं की सहायता – स्तनपान
16	दुर्बल नवजात शिशु के लिए कंगारू माता – नवजात शिशु देखरेख
17	बीमार नवजात शिशु की पहचान करना और रेफर करना
18	हाथ धोना तथा स्वच्छता – पूरक आहार
19	किशोरियों एवं बच्चों में रक्ताल्पता (स्पिलिट आईएल मॉडयूल–14) – मातृ पोषण एवं जन्म से पहले तथा बाद में नवजात की देखरेख – नवजात की देखरेख
20	संस्थागत एवं घर पर प्रसवों की तैयारी – मातृ पोषण एवं जन्म से पहले तथा बाद में नवजात की देखरेख – नवजात की देखरेख
21	नवजात शिशु देखभाल के लिए गर्भावस्था दौरान मुस्तैद रहना – नवजात की देखरेख और परिवार नियोजन

अनुलग्नक–2

सभी स्तरों पर आईएल के अनुशंसित संगठन

आईएलए पर नियोजन का स्तर	शिक्षार्थी	प्रशिक्षार्थियों का गठन	बैच साइज़	सुविधाकर्ता	आवृत्ति एवं समय आबंटन	संकेतक लागत मानदंड
राज्य	राज्य संसाधन ग्रुप	प्रत्येक राज्य के 10.15 सदस्य (एसपीएमयू के सदस्यों, अन्य पहचान किए संसाधनों का चयन करें1	10–15	केन्द्रीय टीम (केन्द्रीय समपीएमयू तथा विश्व बैंक से)	प्रत्येक तिमाही दो दिन	@ 1,50,000 प्रत्येक एसआरजी
जिला	जिला संसाधन ग्रुप	प्रत्येक जिले से 8–10 सदस्य (डीपीओ, पोषण अभियान, जिला समन्वय कर्ता, सीडीपीओ, जिला आरसीएचओ / डीआईओ, डीपीएम, जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, 3–4 मास्टर प्रशिक्षक / बाह्य संसाधन व्यक्ति)	@ 30 30 प्रति बैच (एक साथ 3 जिले)	प्रति बैच 2 एसआरजी सदस्य	प्रत्येक तिमाही दो दिन	@ 30,000 प्रत्येक डीआरजी
ब्लॉक	ब्लॉक संसाधन ग्रुप	प्रत्येक ब्लॉक से 25–30 सदस्य सीडीपीओ, सभी पर्यवेक्षक, पोषण अभियान ब्लॉक समन्वयकर्ता, ब्लॉक सार्वजनिक स्वाथ्य नर्स, बाह्य संसाधन व्यक्ति	@ 30 प्रति बैच	डीआरजी	प्रत्येक माह एक दिन	@ 4,000 प्रति ब्लॉक प्रति विषय
सेक्टर	सेक्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	नियमित सेक्टर बैठकों में क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां तथा उपलब्ध आशा / एएनएम	सेक्टर में समस्त कार्यकर्त्रियां तथा उपलबध आशा / एएनएम	पर्यवेक्षक तथा सहायता के लिए सह–सुविधाकर्ता	मसिक, आईएल एजेंडा के लिए 4 घंटे	@ 1500 प्रति सेक्टर प्रति विषय

ओरिएन्टेशन / प्रशिक्षण / बैठक गतिविधियों के लिए व्यय आईएलए के समय आबंटन के अन्दर–अन्दर राज्य संचालन समिति द्वारा यथानुमोदित सम्बन्धित राज्य के मानदंडों के अनुसार किया जाए।

अनुलग्नक–3

जिला संसाधन समूह और ब्लॉक संसाधन समूह का गठन

जिला संसाधन समूह (डीआरजी)

जिला संसाधन समूह की संरचना

एसपीएमयू से दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक जिला डीआरजी का गठन करेंगे। प्रत्येक डीआरजी में 8 से 10 सदस्य हो सकते हैं (जिले के प्रमाप के आधार पर ताकि सुनिश्चित हो कि कम से कम सदस्य 1–2 ब्लॉक की जिम्मेदारी ले), जिसकी संरचना इस प्रकार होगी :

- आईसीडीएस डीपीओ/डीएसडब्ल्यू –1 (लीड)
- सीडीपीओ –3
- जिला समन्वयक, पोषण अभियान –1
- जिला जन स्वास्थ्यक नर्स (डीपीएचएन) –1 (यदि उपलब्ध हो)
- स्वास्थ्य विभाग से अन्य अधिकारी (जिला आरसीएचओ/डीआईओ/डीपीएम) –2 से 3
- जिले में उपलब्ध 3–4 बाहरी संसाधन व्यक्ति जैसे कि मास्टर ट्रेनर जिनका आईएमएनसीआई/विटामिन ए/आरआई कार्यक्रमों में प्रयोग किया गया है, जिले में एडब्ल्यूटीसी/एमएलटीसी तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के चुनिंदा स्टाफ।

राज्यों में जहां बाहरी संसाधन व्यक्ति सीमित हैं, सभी सीडीपीओ डीआरजी का हिस्सा हो सकते हैं तथा बहुत कम बाहरी संसाधन व्यक्तियों वाले ब्लॉक में सभी एलएस बीआरजी का हिस्सा हो सकते हैं। पोषण अभियान के तहत जिला और ब्लॉक समन्वयकों को गुणवत्ता की ऐसी संगति का सुनिश्चय करना होगा। प्रत्येक डीआरजी में कम से कम 3–4 बाहरी संसाधन व्यक्तियों को शामिल करना होगा ताकि अपेक्षित होने पर वे ब्लॉक स्तरीय सत्रों में मदद कर सकें। एसपीएमयू के दिशा–निर्देश के अनुसार, एसपीएमयू के परामर्श से डीपीओ डीआरजी की गठन एवं अधिसूचना के लिए जिम्मेदार है। वह जिले के सभी ब्लॉकों में बीआरजी का गठन कराने के लिए भी जिम्मेदार है।

डीआरजी की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

- एसआरजी द्वारा सुगम बनाए गए आगामी आईएल चक्रों पर पूर्ण दिवसीय तिमाही प्रबोधन में भाग लेना।
- आगामी आईएल चक्रों पर मासिक आधार पर सौंपे गए ब्लॉक (ब्लॉकों) में पूर्ण दिवसीय (6 घंटे) बीआरजी प्रबोधन का संचालन करना।
- आवश्यकता एवं संभाव्यता के आधार पर ब्लॉक स्तरीय चर्चाओं का आयोजन करने के लिए सौंपे गए ब्लॉक (ब्लॉकों) में बीआरजी की सहायता एवं निगरानी करना नमूना आधार पर
- अप–टु–डेट बने रहने के लिए एसआरजी द्वारा वर्ष में दो बार गहन प्रशिक्षण प्राप्त करना।

ब्लॉक संसाधन समूह (बीआरजी)

बीआरजी की संरचना

परियोजना जिले में प्रत्येक ब्लॉक बीआरजी का गठन करेंगे। बीआरजी का गठन करने के लिए एसपीएमयू अपेक्षित दिशा–निर्देश विकसित करेगा और परिचालित करेगा। प्रत्येक बीआरजी में ब्लॉक के सभी आईसीडीएस पर्यवेक्षक शामिल होंगे तथा इसकी संरचना निम्नानुसार होगी :

- सीडीपीओ (लीड)
- सभी पर्यवेक्षक
- ब्लॉक समन्वयक, पोषण अभियान – 1
- ब्लॉक जन स्वास्थ्य नर्स – 1
- ब्लॉक में उपलब्ध 3–4 मास्टर ट्रेनर/बाहरी संसाधन व्यक्ति जैसे कि आईएमएनसीआई/विटामिन मास्टर ट्रेनर।

प्रत्येक बीआरजी में कम से कम 3–4 बाहरी संसाधन व्यक्तियों को शामिल करना है ताकि वे सेक्टर स्तरीय आईएलए सत्रों की सहायता कर सकें, विशेष रूप से जहां पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ती है। डीपीओ तथा एसपीएमयू के परामर्शदाता से परामर्श करके सीडीपीओ बीआरजी के गठन एवं अधिसूचना के लिए जिम्मेदार है।

बीआरजी की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

- डीआरजी द्वारा सुगम बनाए गए आगामी आईएलए चक्रों पर पूर्ण दिवसीय मासिक प्रबोधन में भाग लेना।
- आगामी आईएल चक्रों पर ब्लॉक के सभी एलएस एवं ब्लॉक अधिकारियों एवं एएनएम के 3–4 घंटे के मासिक प्रबोधन का संचालन करना।
- डिजाइन के अनुसार आईएल का संचालन करने के लिए सभी सौंपे गए क्षेत्र में एलएस/एनएम की सहायता करना।
- अप–टु–डेट बने रहने के लिए डीआरजी द्वारा वर्ष में दो बार गहन प्रशिक्षण प्राप्त करना।

अनुलग्नक–4

कार्यान्वयन में एसपीएमयू, जिला आईसीडीएस तथा तकनीकी साझेदारों की भूमिका

(क) एसपीएमयू की भूमिका

एसपीएमयू में तकनीकी परामर्शदाता राज्य के लिए मॉड्यूलों/सामग्रियों को अनुकूलित करने में सहायता करेंगे। वे अंनतः डीआरजी के मुख्य प्रशिक्षक एवं सहायता प्रदाता के रूप में काम करेंगे तथा आगामी आईएल चक्रों के विषयों पर डीआरजी के सदस्यों को मासिक प्रबोधन प्रदान करेंगे। नियमित फिल्ड दौरों के माध्यम से एसपीएमयू परामर्शदाता जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे तथा आईएल की अंतर–वस्तुओं में सुधार के लिए निष्कर्ष लाएंगे। वे संसाधन पूल के रूप में भी काम करेंगे जिसे ज़रूरत पड़ने पर समस्याओं के समाधान के लिए फोन/ई–मेल के माध्यम से डीआरजी/बीआरजी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।

(ख) जिला एवं ब्लॉक आईसीडीएस कर्मचारियों की भूमिका

डीपीओ और सीडीपीओ अपने क्षेत्र में आईएल की आयोजना एवं कार्यान्वयन में समग्र प्रबंधन तथा प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करेंगे। वे निम्नलिखित के सुनिश्चय के लिए जिम्मेदार होंगे :

- डीआरजी एवं बीआरजी के उपयुक्त सदस्यों का चयन तथा प्रशिक्षणों में उनकी भागीदारी।
- जिला, ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर आईएल सत्रों के लिए सूक्ष्म योजनाओं का विकास।
- सीडीपीओ तथा पर्यवेक्षकों जिनको सहायता की आवश्यकता हो, को बाहरी संसाधन व्यक्ति (डीआरजी और बीआरजी के सदस्य) सौंपना।
- अपने कार्यक्रम क्षेत्रों में आईएल सत्रों के संचालन की निगरानी करना तथा डीआरजी और बीआरजी को फीडबैक प्रदान करना।
- समयबद्ध ढंग से डीआरजी एवं बीआरजी सदस्यों के भुगतानों का प्रबंधन करना।

जिला और ब्लॉक स्तर पर जिला और ब्लॉक समन्वयक तथा कार्यक्रम सहायक आईएलए की आयोजना एवं कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे निम्नलिखित में से कुछ भूमिकाएं निभाएंगे :

- डीआरजी एवं बीआरजी के प्रशिक्षण एवं मासिक प्रबोधन का आयोजन करना।
- बीआरजी द्वारा एलएस के ब्लॉक स्तरीय प्रबोधन की योजना बनाना/अनुसूची तैयार करना।
- सेक्टर स्तरीय आईएल सत्रों की निगरानी करना।
- ब्लॉक समन्वयक सेक्टर स्तर पर कमज़ोर पर्यवेक्षकों की मदद करेंगे (बीआरजी का हिस्सा होने के कारण)।
- सेक्टर स्तरीय आईएल बैठकों के लिए सूक्ष्म योजनाओं के विकास में मदद करना तथा ज़रूरत के अनुसार सूक्ष्म योजनाओं में कोई संशोधन करने के लिए ब्लॉकों/जिलों के साथ समन्वय स्थापित करना (पर्यवेक्षकों में परिवर्तन या डीआरजी/बीआरजी सदस्यों की अनुसूचियों में संशोधन के कारण)।
- समेकन एवं रिपोर्टिंग के लिए सेक्टर स्तरीय आईएल सत्रों की रिपोर्टिंग का सुनिश्चय करना।
- डीआरजी और बीआरजी के प्रशिक्षण एवं मासिक प्रबोधन की मासिक रिपोर्टें तैयार करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा उनके पर्यवेक्षकों की कठिनाइयों को समझने के लिए क्षेत्र का दौरा करना तथा अगले स्तरों को सूचित करना ताकि आईएल मॉड्यूल/उपकरण में संशोधन किए जा सकें।

(ग) तकनीकी साझेदार की भूमिका

राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के आईएलए प्रशिक्षण के संचालन के लिए तकनीकी सहायता की सुविधा तकनीकी साझेदारों जैसे कि विश्व बैंक द्वारा निष्पादित मल्टीडोनर ट्रस्ट फंड (एमडीटीए) या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुलग्नक–5

रिपोर्टिंग के फॉर्मेट

प्रत्येक सत्र के लिए रिपोर्टिंग के निम्नलिखित फॉर्मेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं :

1. सीडीपीओ के लिए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
2. डीपीओ के लिए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
3. जेपीसी के लिए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
4. सेक्टर स्तरीय बैठक के लिए पर्यवेक्षक के लिए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
5. बीआरजी के प्रशिक्षण पर डीपीओ के लिए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट
6. बीआरजी के प्रशिक्षण पर जेपीसी के लिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट

1. सीडीपीओ के लिए आईएलए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट

पोषण अभियान						
राज्य				विभाग का नाम		
जिला						माह
क्र.सं.	**सेक्टर**	**आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल सं.**	**आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की कुल सं.**	**सेक्टर की बैठक की तिथि**	**बैठक में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की कुल सं.**	**बैठक में चर्चा के विषय**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
	कुल					

तिथि :

मुख्य विकास परियोजना अधिकारी

हस्ताक्षर :

नाम :

मोहर :

2. डीपीओ के लिए आईएलए मासिक सारांश रिपोर्ट

पोषण अभियान					
राज्य				विभाग का नाम	
जिला				माह	
क्र.सं.	**बाल विकास परियोजना**	**बीआरजी की तिथि**	**बीआरजी सदस्यों की कुल सं.**	**बीआरजी में मौजूद प्रतिभागियों की सं.**	**बैठक में चर्चा के विषय**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
	कुल				

हस्ताक्षर : नाम : मोहर :

तिथि : जिला कार्यक्रम अधिकारी :

3. जेपीसी के लिए आईएलए मासिक सारांश रिपोर्ट

पोषण अभियान		
पोषण अभियान राज्य		विभाग का नाम
जिला		माह

क्र.सं.	जिले का नाम	डीआरजी की तिथि.	डीआरजी सदस्यों की कुल सं.	डीआरजी में मौजूद प्रतिभागियों की कुल सं.	बैठक में चर्चा के विषय
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
	कुल				

हस्ताक्षर : नाम : मोहर :

तिथि : संयुक्त परियोजना अधिकारी :

4. सेक्टर स्तरीय बैठक के लिए पर्यवेक्षक के लिए आईएलए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट

<table>
<tr><td colspan="4">पोषण अभियान</td></tr>
<tr><td colspan="2">राज्य</td><td colspan="2">विभाग का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="2">सेक्टर</td><td colspan="2">माह</td></tr>
<tr><td colspan="2">सेक्टर में आंगनवाड़ी की कुल सं</td><td colspan="2">बैठक की तिथि</td></tr>
<tr><td colspan="2">बैठक में उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों की कुल सं.</td><td colspan="2">चर्चा के विषय</td></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रि/आशा का नाम</th><th>आंगनवाड़ी केंद्र/उपकेंद्र का नाम</th><th>हस्ताक्षर</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td></td><td></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर :　　　　नाम :　　　　मोहर :

तिथि :　　　　पर्यवेक्षक :

5. बीआरजी प्रशिक्षण पर डीपीओ के लिए आईएलए मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट

पोषण अभियान			
राज्य		विभाग का नाम	
बैठक में चर्चा का विषय		बीआरजी की तिथि	
बीआरजी सदस्यों की कुल सं		बैठक की उपस्थित बीआरजी सदस्यों की सं.	
क्र.सं.	**बीआरजी सदस्यं का नाम**	**पद एवं विभाग का नाम**	**हस्ताक्षर**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
	कुल		

हस्ताक्षर : नाम : मोहर :

तिथि : जिला कार्यक्रम अधिकारी :

6. डीआरजी प्रशिक्षण पर जेपीसी के लिए आईएलए रिपोर्टिंग फॉर्मेट

पोषण अभियान			
राज्य		विभाग का नाम	
बैठक में चर्चा का विषय		बीआरजी की तिथि	
बीआरजी सदस्यों की कुल सं		बैठक की उपस्थित बीआरजी सदस्यों की सं.	
क्र.सं.	**बीआरजी सदस्यं का नाम**	**पद एवं विभाग का नाम**	**हस्ताक्षर**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
	कुल		

हस्ताक्षर : नाम : मोहर :

तिथि : संयुक्त परियोजना समन्वयक :

पोषण अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

2018